

(6)

संख्या-645/9-आ-2-2001

प्रक.

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

- मेरा मे,
1. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
 3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-8 मार्च, 2003

विषय : सम्पत्तियों के आवंटन मे आवंटियों के पक्ष मे रजिस्ट्री किए जाने के समय मे पत्ती अथवा पति, जैसी स्थिति हो का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध मे।

महादय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण मे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् विभिन्न विकास प्राधिकरणों मे एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के द्वारा आवंटियों के पक्ष मे सम्पत्तियों की रजिस्ट्री किये जाने के समय संबंधित आवंटी की पत्ती अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री मे अनिवार्य रूप से डाला जाय, जब तक कि विवाह विच्छिन्न न हो चुका हो।

2. इसके अतिरिक्त पूर्व मे संपत्तियां आवंटित की गयी हो उसमें भी संबंधित आवंटी के पति अथवा पत्ती, जैसी स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री मे सम्मिलित किए जाने मे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इसकी बाध्यता नहीं होगी। यह संबंधित आवंटी के द्वारा अनुरोध किए जाने एवं इस संशोधन हेतु आवश्यक व्यय भार वहन किए जाने की शर्त के अधीन किया जायगा।
3. यह आदर्श लालकालक प्रमाण के रूप मे भी आवास विभाग द्वारा अनुलिखित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या 645/(i) /9-आ-2-2001-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं पंजीयन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महा निरीक्षक स्टाम्प, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नार विकास विभाग, उ०प्र०।
5. स्थाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
6. सचिव मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
7. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा मे
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव